WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के लिए मंजूर की गई नई परियोजना की अनुमानित लागत

1044. **श्री अनन्तराय देवशंकर दवे:** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मंत्रालय के लिए आम बजट में घोषित नई परियोजनाओं की अनुमानित लागत कितनी है;

(ख) उन नई परियोजनाओं के नाम क्या-क्या हैं जिन्हें स्थापना हेतु तकनीकी मंजूरी दे दी गई है;

(ग) उन परियोजनाओं के नाम क्या-क्या हैं, जिन्हें अभी मंजूरी दी जानी है; और

(घ) इन परियोजनाओं के लिए चालू बजट के दौरान कितनी धनराशि उपलब्ध कराई गई है?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० ए० के० पटेल): (क) से (घ) रसायन और पेट्रो-रसायन क्षेत्र में सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की निम्नलिखित नयी परियोजनाओं को रसायन और पेट्रो-रसायन विभाग के वर्ष 1998-99 के बजट में शामिल किया गया है:—

सरकारी उपक्रम का नाम	नयी परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (रु० करोड़ में)
(i) इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड	गंधार (गुजरात) में एक्रिओनाइट्राइल का विनिर्माण	652.00
(ii) हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	(i) (कोचिन में) फिनाल इकाई का विस्तार	45.00
	(ii) (न्यू मेंगलोर पोर्ट में) टेंक टर्मिनल	36.00
(iii) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड	दिल्ली इकाई का अन्यत्र (कहीं) स्थल परिवर्तन	40.00

इस विभाग के बजट में उक्त (I) तथा (II) परियोजनाओं हेतु कोई प्रावधान नहीं किया गया है, क्योंकि उनके लिए संबंधित उपक्रमों द्वारा किसी बजट सहायता की अपेक्षा नहीं की गयी है।

उपरोक्त (I) परियोजना के लिए निर्धारित प्रक्रियानुसार निवेश की मंजूरी की कार्रवाई की गयी है। (II) परियोजना के लिए इस विभाग द्वारा कोई मंजूरी देना अपेक्षित नहीं है। (III) परियोजना के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुसार जिसमें पी एस यू की दिल्ली इकाई का अन्यत्र कहीं स्थल परिवर्तन करना शामिल है, पी एस यू की सहायता के लिए इस विभाग के 1998-99 के बजट में 1.00 करोड़ रुपए शामिल किए गए हैं। अन्यत्र कहीं स्थल परिवर्तन के लिए अंतिम रूप से निर्णय अभी लिया जाना है

उर्वरक क्षेत्र में औद्योगिक नीति संकल्प दिनांक 24 जुलाई, 1991 के अनुसार किसी नयी उर्वरक परियोजना को स्थापित करने के लिए आमतौर पर किसी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। यद्यपि उर्वरक विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन पी एस यूज/कोआपरेटिव्स को अपनी प्रत्यायोजित क्षमताओं से अधिक कोई पूंजीगत व्यय करने से पहले सरकार की मंजूरी लेनी होती है। पी एस यूज/कोआपरेटिव्स द्वारा तैयार की गयी निम्नलिखित परियोजनाओं हेतु निवेश की मंजूरी निर्धारित प्रक्रियानुसार दी गयी है:—

(1) नेल्लोर, आंध्रप्रदेश में इफ्को का नया यूरिया संयंत्र।

(2) हजीरा, गुजरात में विद्यमान संयंत्र की क्षमता के विस्तार के लिए हजीरा फेज-II परियोजना और गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में कृभको का नया यूरिया संयंत्र

(3) आर सी एफ, थाल संयंत्र में यूरिया की क्षमता के विस्तार के लिए परियोजना।

(4) एन एफ एल के पानीपत स्थित मौजूदा संयंत्र में यूरिया की क्षमता के विस्तार के लिए परियोजना।

चूंकि इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए किसी बजट सहायता की आवश्यकता नहीं है, अतः इनके लिए 1998-99 के बजट में किसी धनराशि का प्रावधान नहीं किया गया है।